(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 : केम्प उज्जैन म0प्र0 :

R - 2999 - PBR/12

प्र0 क्र0 / 2012

दुल्हा पिता नग्गा आयु 50 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम रलायती तहसील घटि्टया जिला उज्जैन म0प्र0 - हाल मुकाम चिन्तामण जवासिया उज्जैन म0प्र0 - आवेदक

श्री ... द्वारा केम्प उज्जैन पर प्रस्तुत 17/8

3-9-12

विरुद्ध

देवीसिंह पिता नग्गा व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम रलायती तहसील व जिला उज्जैन म0प्र0 - अनावेदक

निगरानी मेमो धारा 50 म0प्र0 भू0रा0 संहिता के अन्तर्गत, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय घटि्टया जिला उज्जैन - द्वारा प्र0 क्र0 15 / 2011-12 अपील देवीसिंह विरुद्ध दुल्हा मे पारित आदेश दिनांक 3-8-2012 के विरुद्ध ।

माननीय महोदय,

आवेदक द्वारा निम्न आधारो पर निगरानी प्रस्तुत है:-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-8-2012 विधि विधान एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त करणीय है ।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवधी विधान का आवेदन पत्र धारा 5 का निराकरण किए जाने के पूर्व ही प्रकरण को अन्तिम सुनवाई हेतु नियत करने मे वैधानिक एवं घटनात्मक त्रुटि की है ।

3- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 3-8-2012 को अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की आवश्यकता न होने तथा प्रकरण मे प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर निराकरण कर दिए जाने का उल्लेख कर विधि के सिद्धान्तों के प्रतिकूल आदेश पारित करने मे वैधानिक एवं घटनात्मक त्रुटि की है ।

4- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 115 साक्ष्य विधान के सिद्धान्तो को दृष्टि ओझल कर आदेश पारित करने मे

शेष -2

दुल्हा / देवीसिंह

XXIX(a)-BR(H)-11

(36)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(34)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 2999/PBR/12 जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधि. खाचरौद के प्रकरण क्रमांक 15/11-12/अपील में पारित आदेश दिनांक 3.8.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	